

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 मई 2021 — वैशाख 20, शक 1943

गृह विभाग, सी-अनुभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 अप्रैल 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-101/गृह-सी/2007.— यतः राज्य सरकार छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-101/गृह-सी/07, दिनांक 08 अप्रैल, 2020 में वृद्धि करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसके छः अग्र (फ्रंट) संगठनों—दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच, आर.पी.सी. अथवा जनताना सरकार को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है।

यह अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल, 2021 से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी.

F.No. 4-101/Home-c/2007.— Whereas the State Government in exercise of the powers conferred by sub Section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Act, 2005 (No. 14 of 2006), extends the notification of this Department F.No. 4-101/Home-c/2007 dated 08 April 2020 and declares Communist Party of India (Maoist) and its six front Dandkarayan Adhivasi Kishan Majdoor Sangh, Krantikari Adhivasi Mahila Sangh, Krantikari Adhivasi Balak Sangh, Krantikari Kishan Committee, Mahila Mukti manch, R.P.C. & Jantana Sarkar Organisation as Unlawful Organisations for a further period of one year.

This Notification will remain in force for one year with effect from 12 April 2021.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, संयुक्त सचिव.